160

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 4(4)साप्र/6/2008 जयपुर, दिनांक : 26.03.2021

निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.02.2019 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य मद से देय सम्मान पेंशन राशि रू. 25,000/– को बढाकर 50,000/– रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। पूर्व में देय चिकित्सा राशि रू. 5000/– प्रतिमाह यथावत रहेगी। उक्त स्वीकृति 1 अप्रेल, 2021 से प्रभावी होगी।

उक्त व्यय बजट मद 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–कार्यक्रम–107–स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना (01) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन आदि, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, 24–पेंशन एवं उपादान, (राज्य निधि) से वहन किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग द्वारा उनकी आई0डी0 कमांक 102101244 दिनांक 10.03.2021 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

भवदीय

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि राजस्थान राज्य से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों अथवा उनके आश्रितों को बढी हुई पेंशन राशि के भुगतान की व्यवस्था करवाएं।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
10. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव